

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 109/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह निवासी मकान संख्या
73 सैक्टर नं० 06/एल नजदीक तार धर हनुमानगढ जंक्शन
तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक 14.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना
अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा
लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना
उपलब्ध नहीं करवाई गई है अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील
की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र क्रमांक
1213 दिनांक 23.10.2017 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को
प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला
कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 23.10.2017 का अवलोकन
करने से उनके द्वारा पत्र क्रमांक रीडर/एडीएम/(1931) सूकाअ/2011/871
दिनांक 04.08.2017 से अपीलार्थी को शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया जाना
पाया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पत्र क्रमांक
1213 दिनांक 23.10.2017 के अनुसार अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के
तहत लोक सूचना अधिकारी के यहां नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त
कर सकता है। अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता
है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को
भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

सत्यमेव जयते

५५)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Non-Confidential